स्नातक और स्नातकोत्तर
दंत चिकित्सा शिक्षा बोर्ड

Under-Graduate & Post-Graduate Dental Education Board

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

National Dental Commission
Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

F. No. UGPGDEB/NDC/Public Advisory/2026/ DEB-646

दिनांक: ~~04~~ 05 नवंबर, 2026

सार्वजनिक सूचना /PUBLIC ADVISORY

To,

1. The General Public, Students and Parents / Guardians; and
2. All Dental Colleges / Institutions and the Universities to which they are affiliated

विषय: **डेंटल कॉलेजों/संस्थानों और पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने से पहले उनकी प्रमाणिकता की जांच करने के संबंध में सार्वजनिक परामर्श – माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2026 के आदेश (रिट याचिका (सिविल) संख्या 531/2025) का अनुपालन – के संबंध में/Public Advisory pertaining to verification of the authenticity of dental colleges / institutions and courses before taking admission – compliance with the order dated 09.10.2026 of the Hon'ble Supreme Court in W.P. (C) No. 531/2025 – reg.**

महोदय / महोदया,
Sir / Madam,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा व अन्य' [W.P. (C) No. 531/2025, IA No. 296269/2026] मामले में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक फार्महाउस के जर्जर ढांचे से कथित तौर पर चलाए जा रहे एक फर्जी मेडिकल कॉलेज का संज्ञान लिया है। यह कॉलेज कथित तौर पर D. Pharma, B. Pharma, B.Sc. Nursing, DMLT, BMLT, BAMS, GNM और ANM जैसे कोर्स करा रहा था। दिनांक 09.10.2026 के अपने आदेश के जरिए, माननीय न्यायालय ने UGC और सभी नियामक प्राधिकरणों को एक सार्वजनिक परामर्श (public advisory) जारी करने का निर्देश दिया है। इसमें सभी संबंधित संस्थाओं और विशेष रूप से आम जनता को आगाह किया गया है कि वे किसी भी संस्थान में दाखिला लेने या उसके साथ कोई लेन-देन करने से पहले उसकी प्रमाणिकता की जांच जरूर कर लें। यह मामला पुलिस जांच के दायरे में है और इसकी एक स्वतंत्र जांच भी चल रही है।

2. 'नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट, 2023' के तहत गठित 'नेशनल डेंटल कमीशन' (NDC), देश में डेंटल शिक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण (regulatory authority) है। इस एक्ट के अनुसार, कमीशन की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी डेंटल कॉलेज या संस्थान स्थापित नहीं किया जा सकता, कोई डेंटल कोर्स शुरू नहीं किया जा सकता, और न ही सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसी निर्देश के पालन में और व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, UGPG-DEB यह एडवाइजरी जारी कर रहा है, ताकि छात्र और अभिभावक किसी अनधिकृत (unauthorised) संस्थान के बहकावे में न आएं।

3. छात्रों, अभिभावकों और आम जनता के लिए एडवाइजरी: किसी भी डेंटल कोर्स, या किसी अन्य मेडिकल या संबद्ध स्वास्थ्य (allied health) कोर्स में प्रवेश लेने से पहले, निम्नलिखित सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है:

(a) भुगतान करने से पहले जांच लें: NDC की आधिकारिक वेबसाइट पर यह जांच लें कि कॉलेज को अनुमति प्राप्त है या नहीं, वह विशिष्ट कोर्स (BDS / MDS और स्पेशलिटी) स्वीकृत है या नहीं, और वर्तमान सत्र के लिए कितनी सीटें मंजूर की गई हैं। किसी एक कोर्स या एक सत्र की मंजूरी का मतलब यह नहीं है कि सभी कोर्स या सत्र स्वीकृत हैं। NDC के पास डेंटल संस्थानों का एक सर्च करने योग्य डेटाबेस है, जिसमें स्वीकृत सीटों की जानकारी दी गई है।

(b) केवल वैध तरीके से ही प्रवेश लें: BDS और MDS कोर्स में प्रवेश केवल NEET-UG / NEET-MDS के आधार पर, 'मेडिकल काउंसलिंग कमेटी' या संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (UT) के काउंसलिंग प्राधिकरण द्वारा आयोजित काउंसलिंग के माध्यम से ही लिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाहर मिलने वाले किसी भी "डायरेक्ट", "स्पॉट" या "गारंटीड" एडमिशन के ऑफर को धोखाधड़ी माना जाना चाहिए।

Cont'd...2/-

(c) यूनिवर्सिटी की जांच करें: UGC एक्ट, 1956 की धारा 22 और 23 के तहत, केवल कानून द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी ही डिग्री प्रदान कर सकती है। UGC द्वारा www.ugc.gov.in पर जारी की गई फर्जी यूनिवर्सिटी की सूची जरूर देखें।

(d) चेतावनी के संकेतों को पहचानें: जैसे कि आवासीय, कृषि भूमि या अस्थायी जगहों पर कक्षाएं चलना; क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए कोई डेंटल अस्पताल, डेंटल चेयर, प्रयोगशालाएं या मरीज न होना; NEET या काउंसलिंग के बिना प्रवेश; पिछली तारीख (back-dated) से प्रवेश; नकद या व्यक्तिगत खातों में फीस जमा कराना; और ऐसी संबद्धता (affiliation) का दावा करना जिसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित न किया जा सके।

(e) बिचौलियों से बचें: एजेंटों, पैम्फलेट, सोशल मीडिया विज्ञापनों या फोन पर मिलने वाले ऑफर्स पर भरोसा न करें। अनुमति और संबद्धता (affiliation) का लिखित प्रमाण मांगें, और NDC तथा संबंधित विश्वविद्यालय से इसकी पुष्टि (cross-check) करें।

(f) परिणामों को समझें: किसी गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त डिग्री या प्रमाण-पत्र के आधार पर, व्यक्ति न तो 'नेशनल/स्टेट डेंटल रजिस्टर' में पंजीकरण करा सकता है, न ही दंत चिकित्सा (dentistry) की प्रैक्टिस कर सकता है, न ही स्वास्थ्य क्षेत्र में नौकरी पा सकता है, और न ही उच्च शिक्षा में प्रवेश ले सकता है।

(g) शिकायत करें: किसी भी अनधिकृत (unauthorized) डेंटल संस्थान, या ऐसे संस्थान में प्रवेश देने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति की जानकारी 'नेशनल डेंटल कमीशन' (NDC) और स्थानीय पुलिस को दी जा सकती है।

4. डेंटल संस्थानों, विश्वविद्यालयों और राज्य प्राधिकरणों के लिए सलाह: डेंटल कॉलेजों को अपनी वेबसाइट और प्रॉस्पेक्टस (विवरण पुस्तिका) पर NDC से मिली अनुमति, स्वीकृत पाठ्यक्रमों और सीटों की संख्या (sanctioned intake) को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। विश्वविद्यालयों को अपने नाम या संबद्धता के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देनी चाहिए, और ऐसे किसी भी दुरुपयोग की रिपोर्ट करनी चाहिए।

5. किसी गैर-मान्यता प्राप्त संस्थान को चलाना, कानूनी अधिकार के बिना 'विश्वविद्यालय' (University) शब्द का उपयोग करना, या फर्जी डिग्री और प्रमाण-पत्र जारी करना–इन सभी मामलों में 'नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट, 2023' और इसके तहत बने नियमों; 'UGC एक्ट, 1956' की धारा 22-24; तथा 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' (धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित प्रावधानों) के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जो लोग जानबूझकर ऐसी गतिविधियों में मदद करते हैं–जैसे कि एजेंट, परिसर के मालिक, या वे लोग जो अपना नाम या हस्ताक्षर इस्तेमाल करने देते हैं–वे भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आते हैं। ऐसे प्रमाण-पत्रों के आधार पर अयोग्य व्यक्तियों का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आना, मरीजों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है।

6. यह निर्देश सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) के अनुमोदन से जारी किया गया है।

The Hon'ble Supreme Court, in *Ayesha Jain v. Amity University, Noida & Ors.* [W.P. (C) No. 531/2025, IA No. 296269/2026], took note of a fake medical college that was allegedly running from a dilapidated structure in a farmhouse in District Etah, Uttar Pradesh, and purportedly offering courses such as D. Pharma, B. Pharma, B.Sc. Nursing, DMLT, BMLT, BAMS, GNM and ANM. Vide its order dated 09.10.2026, the Hon'ble Court directed the UGC and **all regulatory authorities** to issue a public advisory cautioning all authorities, institutions and, especially, the public at large **not to take admission in, or deal with, any institution without first verifying its authenticity**. The said matter is under police investigation and an independent inquiry.

2. The National Dental Commission (NDC) constituted under the National Dental Commission Act, 2023, is the regulatory authority for dental education in the country. Under the Act, no dental college or institution may be established, start a dental course or increase its intake without the prior permission of the Commission. In compliance with the said direction, and in the larger public interest, UGPG-DEB issues this advisory so that students and parents are not misled by unauthorised institutions.

Cont'd...3/-

3. **Advisory to Students, Parents and the General Public:** Before taking admission in any dental course, or in any other medical or allied health course, the following precautions are advised:

(a) **Verify before you pay:** Check on the official NDC website that the college is permitted, that the specific course (BDS / MDS and specialty) is approved, and the seats sanctioned for the current session. Approval of one course or one session does not mean approval of all courses or sessions. The NDC maintains a searchable database of dental institutions and publishes information on permitted seats.

(b) **Admission only through the lawful route:** Admission to BDS and MDS courses is made only on the basis of NEET-UG / NEET-MDS, through counselling conducted by the Medical Counselling Committee or the competent State / UT counselling authority. Any offer of "direct", "spot" or "guaranteed" admission outside this process should be treated as fraudulent.

(c) **Check the University:** Under Sections 22 and 23 of the UGC Act, 1956, only a University established by law may award degrees. Consult the list of fake universities published by the UGC at www.ugc.gov.in.

(d) **Recognise the warning signs:** classes held in residential, farm or makeshift premises; no attached dental hospital, dental chairs, laboratories or patients for clinical training; admission without NEET or counselling; back-dated admissions; fees collected in cash or into personal accounts; and affiliation claims that cannot be independently verified.

(e) **Avoid middlemen:** Do not rely on agents, pamphlets, social-media advertisements or telephonic offers. Insist on written proof of permission and affiliation, and cross-check it with the NDC and the university.

(f) **Know the consequences:** A degree or certificate obtained from an unrecognised institution does not entitle the holder to registration in the National / State Dental Register, to practise dentistry, to employment in the health sector, or to admission to higher studies.

(g) **Report:** Information about any unauthorised dental institution, or any person offering admission in one, may be reported to National Dental Commission and to the local police.

4. **Advisory to Dental Institutions, Universities and State Authorities:** Dental colleges shall prominently display their NDC permission, approved courses and sanctioned intake on their websites and prospectuses. Universities shall not allow the misuse of their name or affiliation, and shall report any such misuse.

5. Running an unrecognised institution, using the word "University" without legal authority, or issuing fake degrees and certificates attracts action under, inter alia, the National Dental Commission Act, 2023 and the regulations made thereunder; Sections 22–24 of the UGC Act, 1956; and the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, relating to cheating and forgery. Persons who knowingly facilitate

Cont'd...4/-

such activity, including agents, owners of premises and those who lend their names or signatures, are also liable to legal action. Unqualified persons entering the health workforce on such certificates pose a direct threat to patient safety.

6. This issues with the approval of the Competent Authority.

भवदीय/Yours faithfully,

5/11/26

(अरिंदम मोदक/Arindam Modak)
सचिव/Secretary
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग/National Dental Commission

प्रतिलिपि/**Copy to:**

1. निजी सचिव, अध्यक्ष,राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग/PS to Chairman, NDC
2. निजी सचिव, अध्यक्ष, डीएआरबी/ईडीआरबी, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग/PS to the President, DARB/EDRB
3. सदस्य, डीएआरबी/ईडीआरबी, राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग/Member of DARB/EDRB/National Dental Commission
4. आईटी अनुभाग, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए /IT Section, for uploading on the website
5. गार्ड फ़ाइल/Guard File